न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :—
सिमरसिंह पुत्र नरपतसिंह राजपूत
निवासी राजलिया तह. नावां

बनाम

प्रतिवादीगण :—
1. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
2. दशरथसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
3. अंचन कंवर पत्नी भंवसिंह राजपूत
4. सुप्यारकंवर पत्नी भोपातसिंह राजपूत
5. मालसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपूत
   निवासी राजलिया तह. नावां
6. तहसीलदार नावां

दावा बाबत :— खातेदारी घोषणा व बंटवारा
उपस्थित :— श्री गोपालसिंह वकील वादी
श्री ब्रजपालसिंह वकील प्रतिवादीगण

मुकदमां नम्बर :— 149/2017 निर्णय दिनांक :— 15.07.2019

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं ग्राम राजलिया के खसरा नम्बर 689, 690, 717, 720, 754, 781, 782, 783, 784, 789, 790, 791, 792 कुल रकबा 16.27 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 801 रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि स्थित हैं उक्त भूमि वक्त जागीर से स्व. नरपतसिंह के कब्जे काश्त की भूमि रही हैं स्व. नरपतसिंह जी का स्वर्गवास होने के बाद उक्त आराजीयत पर उनके जायज वारिसान भंवरसिंह, भोपालसिंह एवं सिमरसिंह बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3 हिस्से पर काश्त करते आ रहे हैं खातेदार भंवरसिंह फौत होने पर उनके 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी 1 से 3 काबिज हो गये तथा भोपातसिंह जी के फौत होने के बाद उनके 1/3 हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी 4, 5 बहिस्सा बराबर काबिज काश्त हैं तथा 1/3 हिस्से पर वादी सिमरसिंह काबिज काश्त हैं। उक्त सम्पूर्ण भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के पिता पति के समय ही पिछले 40-50 वर्षो से भौतिक बंटवारा वाद पत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित अनुसार कर अलग अलग काबिज काश्त हैं। उक्त मौके पर हो रखे भौतिक बंटवारे के अनुसार प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में बंटवारा कर रिकार्ड पृथम पृथक रिकार्ड कायम करवाने की कहने पर उनके द्वारा इंकार

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

कर दिया गया। वादी काफी वृद्ध अवस्था में हैं बंटवारा नहीं होने की स्थिति में परिवार में आये दिन विवाद की स्थिति रहती हैं वादी ने यह वाद पेश कर वाद के पैरा संख्या 7 में वर्णित अनुसार बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 3 व 5 ने दिनांक 08.07.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया हैं कि विवादित आराजीयत का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में हुऐ आपसी बंटवारे के अनुसार समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों की समझाईश से राजीनामा हो चुका हैं राजीनामें में पक्षकारान की भूमि जिस प्रकार से रखी गई हैं का विवारण अंकित करते हुऐ निवेदन किया हैं उक्त राजीनामों के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण मौके पर वर्षो से काबिज काश्त हैं वादी व प्रतिवादीगण उक्त राजीनामें से पूर्णतया संतुष्ट होकर सहमत हैं, वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी 1 से 3 व 4, 5 के पृथक – पृथक खाते कायम किये जाकर इन्द्राज दर्ज किया जावें अलग अलग लगान कायम किया जाकर नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया जावें। प्रतिवादी 4 का सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वादी व प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं कर माफिक राजीनामा वाद स्वीकार किऐ जाने का निवेदन किया गया। साक्ष्य बन्द की जाकर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवचेन के अनुसार वादी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में ग्राम राजलिया के खसरा नम्बर 689, 690, 717, 720, 754, 781, 782, 783, 784, 789, 790, 791, 792 कुल रकबा 16.27 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं खसरा नम्बर 801 रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 1 से 3 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने बताया हैं कि खसरा नम्बर 801 रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि भी वादी व प्रतिवादीगण 1 से 5 की पुश्तैनी कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि हैं, लेकिन सेटलमेन्ट की गलती से अकेले प्रतिवादी 1 से 3 के नाम दर्ज हो गई जबकि मौके पर वादी व प्रतिवादी 1 से 3 व प्रतिवादी 1 व 5 का बराबर बराबर 1/3– 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त हैं जिसमें वादी व प्रतिवादी 5 व 6 को 1/3 –1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तो हम प्रतिवादी 1 से

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

3 को कोई आपत्ति नहीं हैं। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजीयत के वादी व प्रतिवादी 1 से 5 रिकार्डेड खातेदार हैं तथा उक्त सम्पूर्ण भूमि को पुश्तैनी हक हिस्से व कब्जे काश्त एवं खातेदारी की होना स्वीकार किया हैं जिसका वादी व प्रतिवादीगण के बीच 40 –50 वर्षो पूर्व भौतिक रूप से बंटवारा कर अलग अलग सीवें नीवें कायम कर काबिज काश्त होना स्वीकार किया हैं तथा सभी खातेदारान के भूमि का मौके पर भौतिक रूप से हो रखे बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग अलग होल्डिंग कायम करने हेतु राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया हैं रिकार्डेड खातेदारों को अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा राजस्व रिकार्ड में करवाने का कानूनी अधिकार हैं जिसमें सभी खातेदार सहमत हैं जिससे वादी का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम राजलिया के खसरा नम्बर 781 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 1 से 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी 4, 5 का 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप खातेदारी में रहेगा। खसरा नम्बर 0.04 हैक्टयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 782 रकबा 1.25 हैक्टयर में से 0.99 हैक्टयर, खसरा नम्बर 690 रकबा 5.07 हैक्टयर में 1.69 हैक्टयर उत्तरी तरफ की, खसरा नम्बर 689 रकबा 1.47 हैक्टयर में से 0.80 हैक्टयर उत्तरी तरफ की, खसरा नम्बर 717 रकबा 4.88 हैक्टयर में से 1.63 हैक्टयर दक्षिणी तरफ की, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.75 हैक्टयर में से 0.25 हैक्टयर दक्षिणी तरफ की भूमि का वादी को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता हैं। खसरा नम्बर 801 रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि में मध्य भाग की 1/3 हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 782 में से 0.01 हैक्टयर भूमि 13 फुट चौड़ाई में रास्ता रहेगा जो वादी व प्रतिवादी 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी में रहेगी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 782 रकबा 1.25 हैक्टयर में से 0.16 हैक्टयर उत्तरी– पूर्वी कौने पर, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.98 हैक्टयर में से 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 784 रकबा 0.75 हैक्टयर में से 0.72 हैक्टयर, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.03 हैक्टयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 690 रकबा 5.07 हैक्टयर में से 1.69 दक्षिणी तरफ, 689 रकबा 1.47 हैक्टयर में से 0.27 हैक्टयर दक्षिणी तरफ, 754 रकबा 0.93 हैक्टयर में से 0.53 हैक्टयर दक्षिणी तरफ, खसरा नम्बर 717 रकबा 4.88 हैक्टयर में से 1.62 हैक्टयर उत्तरी तरफ, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.75 हैक्टयर में

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

से 0.25 हैक्टयर उत्तरी तरफ तथा खसरा नम्बर 801 रकबा 0.04 हैक्टयर में पूर्वी तरफ 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादी 1 से 3 की खातेदारी में बहिस्सा बराबर घोषित की जाती है। खसरा नम्बर 784 रकबा 0.75 हैक्टयर में 0.03 हैक्टयर 13 फुट चौड़ा रास्ता रहेगा जो वादी व प्रतिवादी 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी व हक हिस्से में रहेगी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 782 रकबा 1.25 हैक्टयर में से 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.96 हैक्टयर में से 0.83 हैक्टयर, खसरा नम्बर 791 रकबा 0.06 हैक्टयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 789 रकबा 0.05 हैक्टयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 690 रकबा 5.07 में से 1.69 हैक्टयर मध्य में, 689 रकबा 1.47 हैक्टयर में से 0.40 हैक्टयर मध्य में , खसरा नम्बर 754 रकबा 0.93 हैक्टयर में से 0.40 उत्तरी तरफ की, खसरा नम्बर 717 रकबा 4.88 हैक्टयर में से 1.63 हैक्टयर मध्य में, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.75 हैक्टयर में से 0.25 हैक्टयर मध्य में व खसरा नम्बर 801 रकबा 0.04 में से 1/3 हिस्सा पश्चिमी तरफ की भूमि का प्रतिवादी 4 व 5 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं खसरा नम्बर 783 रकबा 0.83 हैक्टयर में से 0.03 हैक्टयर भूमि 13 चौड़ा रास्ते हेतु रहेगी जो वादी व प्रतिवादी 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी में रहेगी। तदुनसार वादी व प्रतिवादी 1 से 3 व 1, 5 की खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)